DR. BHANSALI.

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

कमांकः–F21/NRHM/JSY/06/ 366 **दिनांकः–** 23.11.06

जननी सुरक्षा योजना राज्य में सितम्बर 2005 से प्रभावी हुई जिसमें केवल बी.पी. एल. परिवार की प्रसूताऐं ही लाभान्वित हो रही थी। स्वास्थ्य निदेशालय के पत्र कमांक F21/RCH/JSY/2006/89 दिनांक 21.8.06 के अनुसार लाभान्वितों का दायरा बढाकर उसमें सभी वर्ग की प्रसूता महिलाओं को लाभान्वित किया गया एवं उम्र और बच्चों की संख्या संम्बधी सभी अर्हताएं समाप्त कर दी गई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये नवीनतम दिशा निर्देशों के फलस्वरूप सभी लाभान्वितों का पैकेज इस प्रकार रहेगा।

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाओं को रू. 1400/– एवं रू. 1000/– प्रसव पश्चात सरकारी संस्थान पर देय होगे।
2. **घरेलू प्रसव का वित्तिय लाभ** ग्रामीण एवं शहरी **केवल बी.पी.एल.कार्डधारी प्रसूताओं को ही देय होगा। प्रमाणित गरीब को लाभ देय नही होगा।**
3. रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गो की ग्रामीण कार्डधारी प्रसूताओं को देय होगी किन्तु उसे जच्चा बच्चा / जसुयों कार्ड आवश्यक रूप से दिखाना होगा।
4. आशा सहयोगिनी प्रसवपूर्व / प्रसवकाल / प्रसवोत्तर सेवायें देने के साथ रेफरल परिवहन सुविधा का अग्रिम तौर प्रबन्ध करेगी जिसके लिए रू. 600/– का प्रावधान योजना में किया गया है। **यह राशि दो किश्तों मे देय होगी।**
5. किसी भी कारणवश प्रसूता माता प्रसव हेतु सरकारी संस्थान पर सीधे ही चली जाती है तो भी रू. 300/– सरकारी संस्थान पर ही देय होगे।
6. स्वास्थ्य निदेशालय के उपरोक्त अंकित पत्र के अनुसार वित्तिय लाभ से वंचित रही प्रसूता महिलाऐं संस्थागत प्रसवों का उस समयावधि मे पूववर्ति प्रभाव से लाभ उठा रही है। **पूर्व प्रभाव से दिया जा रहा ग्रामीण एवं शहरी प्रसूताओं को यह लाभ दिनांक 31.12.2006 तक ही देय होगा। तत्पश्चात किसी भी प्रसूता को यह लाभ देय नही होगा।**

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीन जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे प्रचारित करावें।

विस्तृत एवं संशोधित दिशानिर्देश पत्र संलग्न है।

Sd/-
राज्य नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

क्रमांकः– F21/NRHM/JSY/2006/ 366 दिनांकः– 23/11/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
3 निजी सचिव, शासन सचिव(प.क.)एवं मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम.)राजस्थान, जयपुर
4 प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक–मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीन जनाना/महिला चिकित्सालयों में इसकी प्रति भेजकर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
5 निजी सहायक निदेशकजन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एडस, आई.ई.सी.मुख्यालय
6 अतिरिक्त निदेशक एन.आर.एच.एम./आर.एच./आर.सी.एच. मुख्यालय,जयपुर
7 अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय, जयपुर
8 संयुक्त निदेशक (आर.सी.एच.) मुख्यालय, जयपुर
9 संयुक्त निदेशक जोन– जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर
10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
11 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल– समस्त जिले
12 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट अस्पताल, समस्त
13 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
14 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले
15 समस्त गैर सरकारी संगठन EC–SIP Smt. K. Srivastava.

राज्य नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जननी सुरक्षा योजना सितम्बर 2005 से चल रही है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण का पंजीयन, प्रसवपूर्व उचित देखरेख व अस्पतालों में प्रसवों को बढ़ावा देकर जच्चा व बच्चा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

3. इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गांव/शहर की चयनित आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवा कर जच्चा बच्चा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।

4. गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कम से कम तीन बार चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला) से प्रसव पूर्व जाँच करवा लेनी चाहिए। इसी दौरान प्रसव हेतु अस्पताल व परिवहन सेवा का भी चिन्हिकरण कर लेना चाहिए ।

5. धनुषबाय खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चे दोनो के लिए प्राणघातक हो सकता है। अतः पंजीकरण के समय एवं एक माह बाद टिटेनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए।

6. चिकित्सक / स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा बताये अनु[illegible] ायरन फोलेट की एक गोली नियमित रूप से भोजन पश्चात 100 दिन तक ख[illegible] हिए।

7. योजना के वर्तमान स्वरूप में संस्थागत प्रसव कराने वाली हर वर्ग की गर्भवती महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है **उम्र एवं बच्चों की संख्या की तमाम बन्दिशों को हटा दिया गया है।**

8. प्रसूता के आगमन/पंजीकरण के पश्चात् अस्पतालों एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तत्काल नगद भुगतान की व्यवस्था राज्य में कर दी गई है ताकि भुगतान के लिए लाभान्वितों को दुबारा नहीं आना पड़े। **भुगतान, प्रसव तिथी से 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करना होगा अन्यथा भुगतान अवैध माना जावेगा।** उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अनटाइड फण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के खातों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है जिसका पुनर्भरण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जावेगा । **जसुयो रजिस्टर में भुगतान का इन्द्राज कर, जच्चा – बच्चा कार्ड एवं जसुयो कार्ड पर राशि अंकित कर लिखना होगा – प्रसव पश्चात (रु.1400/1000) भुगतान कर दिया गया है ।**

9. ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेजः

	माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा–सहयोगिनी हेतु पैकेज (रैफरल परिवहन + प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गो की प्रसूताऐं	1400 रूपये	600रूपये (400+200) रूपये	2000 रूपये

नोटः 1. अस्पतालों के जनरल वार्ड में भर्ती प्रसूता माताओं को ही वित्तिय सहायता देय होगी।
2. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तो में देय होगी ।
* जिन क्षेत्रो में आशा का चयन नही हुआ है वहां आंगनबाडी कार्यकर्ता / जनंमगल जोडे को उपरोक्त लाभ देय होगा ।

10. शहरी क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेजः

	माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा–सहयोगिनी हेतु पैकेज (प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गो की प्रसूताऐं	1000 रूपये	200रूपये	1200 रूपये

नोटः 1. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तो में देय होगी। दोनो ही किश्तें उसी प्रसव संस्थान पर देय होगी जहां आशा ने प्रसूता का पंजीकरण, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जॉचे करायी।

सभी वर्गो की प्रसूता महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर रू. 1000 / – देय होगे । **शहरी क्षेत्र की निवासीनी प्रसूता अथवा आशा को शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैफरल परिवहन सुविधा देय नही होगी।** प्रसूता के सन्दर्भ में आशा को प्रोत्साहन हेतु रू 200 / – देय होगें।

* जिन क्षेत्रो में आशा का चयन नही हुआ है वहां आंगनबाडी कार्यकर्ता को उपरोक्त लाभ देय होगा।

11 <u>समस्त सरकारी संस्थानों में होने वाले प्रसव सहायता पैकेजः</u>

1. सभी वर्गो की प्रसूताओं को प्रसव पश्चात भुगतान। विशेष परिस्थितियों में भुगतान की अन्तिम समय सीमा 7 दिवस रहेगी।

2. प्रसूता के ग्रामीण क्षेत्र की निवासीनी होने पर रू.1400/– एवं शहरी होने पर रू. 1000/– प्रसव हेतु दिये जायेगे। प्रसूता के अपने मूल निवास क्षेत्र के अलावा अन्यत्र संस्थान (ग्रामीण/शहरी) पर प्रसव कराने की स्थिति में उसे अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची लानी होगी। रैफरल पर्ची के साथ जच्चा–बच्चा एवं जसुयो कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा ।

3. **रेफरल परिवहन सुविधा सभी ग्रामीण कार्डधारी प्रसूताओं को देय होगी। यहां कार्ड से अभिप्राय जच्चा बच्चा– जननी सुरक्षा योजना कार्ड से है जिसे आवश्यक रूप से संस्था पर दिखाना होगा।** आशा सहयोगिनी इसका प्रबन्ध अग्रिम तौर पर प्रसव पूर्व करेगी जिसके लिये योजना में 600/– रू. का प्रावधान रखा गया है। **यदि प्रसूता, आशा के बिना संस्थान पर चली जाती है तो भी उसे रू. 300/– का लाभ प्रसव संस्थान पर देय होगा।**

4. प्रसव के बाद किसी भी वर्ग की महिला अथवा उसका पति अगर नसबन्दी करवा लेते है तो तत्काल प्रोत्साहन राशि यानि रु 450/500 भी तत्काल देय होगी ।

12. घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेजः

- घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे रू. 500/–देय होगा। **केवल बी.पी.एल. कार्डधारी प्रसूताऐं ही इसका लाभ उठा सकेगी।** प्रसूता को वित्तिय लाभ देने से पूर्व प्रसाविका तीन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर तस्दीक करेगी–
  (1) उम्र 19 वर्ष या अधिक होवें
  (2) बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
  (3) मृत शिशु के उत्पन होने पर भी सहायता देय होगी किन्तु केवल दो जीवित जन्मों तक ही लाभ देय होगा।

13. प्रसूता के मूल निवास से अन्यत्र प्रसव कराने सम्बन्धी अर्हताऐं:

अन्यत्र स्थान : पिहर (पिता का घर)/अन्य जिला, तहसील इत्यादि/अन्य राज्यों से रैफर्ड प्रसूतायें

प्रसव का स्थान सरकारी/निजी संस्थान में अथवा घरेलू होने पर आवश्यक रूप से प्रसूता को अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची के साथ जच्चा बच्चा कार्ड एवं जसुयो कार्ड लाना होगा। इसके अभाव में उसको भुगतान नहीं किया जावेगा।

14 आशा सहयोगिनी का सहायता पैकेजः–

1. **आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तो में देय होगी।** प्रथम किश्त रु **500/–** की जिसमें 400 रेफरल परिवहन एवं रु 100/– उसकी प्रोत्साहन राशि होगी जिसका भुगतान सरकारी संस्थान पर तत्समय किया जावेगा। इसका इन्द्राज संस्थान के जसुयो रजिस्टर में किया जावेगा।
2. दूसरी किश्त रु. **100/–** की होगी जो 2 प्रसवोत्तर जाँच व शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात देय होगी। इस भुगतान का इन्द्राज प्रसाविका अपनी पंजिका में करेगी।
3. आशा अपनी दैनिक डायरी में प्रसूता को दी गई सेंवाऐं एवं प्राप्त की गई राशि को इन्द्राज करेगी।

4. **किसी भी कारणवश यदि आशा प्रसूता के साथ संस्था पर प्रसव कराने हेतु नही जा पाती है तो भी रु. 200/– दो किश्तों में देय होंगे ।** प्रथम किश्त रू. 100/–प्रसव पूर्व जॉचो के लिए एवं द्वितीय किश्त रू.100/– प्रसवोत्तर जांचों एवं शिशु के बी.सी.जी टीकाकरण के पश्चात अपने क्षेत्र की प्रसाविका द्वारा देय होगी जिसका इन्द्राज वह अपनी पंजिका में करेगी।

15. **सिजेरियन छेदन/जटिल प्रसव हेतु विशेषज्ञ सेवाऐं :**

1. जिन सरकारी संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नही है वे संस्थान निजी चिकित्सालयों /विशेषज्ञों से विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु रू 1500/– तक का भुगतान कर सकते है इन सेवाओं में शल्य चिकित्सक/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतन विशेषज्ञ की सेंवायें शामिल है। यह लाभ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही निजी संस्थानों/विशेषज्ञों को देय होगा।

2. **सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सेवायें लिये जाने पर उन्हें रू. 500/– दिये जाने का प्रावधान है।** यह राशि विशेषज्ञों को अपने पदस्थापन स्थान पर सेवायें देने हेतु नहीं दी जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयार करेगें।

16 संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्र में जसुयो के तहत सूचीबद्ध विशेषज्ञों एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची तैयार करवायेगें। **जिलों में उपलब्ध निजी चिकित्सालयों मे केवल उपखण्ड एवं ब्लाक स्तर पर ही मान्यता दी जानी है** जिला स्तर पर किसी निजी चिकित्सालय को जसुयो के तहत मान्यता नही दी जानी है सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सूची लगवाना सुनिश्चित करायेंगे ताकि हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविका/ऑगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी) एवं प्रसूता को प्रसव पूर्व यह जानकारी उपलब्ध रहे।

17 समस्त जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों जो एन.आर.एच.एम के अधीन है, के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक **लोकपाल** की व्यवस्था का प्रावधान है यही तंत्र जसुयो पहल का भी ध्यान रखेगा। जिला स्वास्थ्य मिशन इस प्रयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी अभिज्ञात करेगें जो कि जिले में स्थापित क्रियान्वयन का अंग नही है। इस नोडल अधिकारी का नाम मय टेलिफोन नम्बर स्वास्थ्य सेवा से जुडे सभी केन्द्रों पर एवं प्रमुख स्थान जैसे पंचायत भवन, सरकारी भवनों इत्यादि पर प्रदर्शित किये जाने चाहियें।

(शुभ्रा सिंह)
शासन सचिव (प.क.) एवं
मिशन निदेशक (रा0ग्रा0स्वा0मिशन)